कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बदायूँ

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बदायूँ मुख्यालय परिसर, वाह्य न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) सहसवान एवं बिसौली में स्थित सार्वजनिक शौचालय की नियमित साफ–सफाई व्यवस्था हेतु एजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर कार्य कराये जाने हेतु कर्मियों की आवश्यकता है–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कर्मियों की आवश्यकता	निविदा मूल्य एवं 12 प्रतिशत जी0एस0टी0
1	जनपद न्यायालय बदायूँ मुख्यालय परिसर में स्थित 10 सीट क्षमता वाले सार्वजनिक शौचालय की सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मी की आवश्यकता।	02	560/–
2	वाह्य न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) सहसवान एवं बिसौली में स्थित 5–5 सीट क्षमता वाले सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मी की आवश्यकता।	02	560/–

शर्ते–

1. केवल वहीं संस्थाएं जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूचीबद्ध है, इस उद्देश्य के लिये वैद्य होगीं।
2. आवश्यकतानुसार कर्मी घटाये–बढ़ाये जा सकते है।
3. कार्यदायी संस्था का E.P.F तथा लेवर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा, प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कार्यदायी संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में 50 सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों का E.P.F जमा करने के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. कार्यदायी संस्था किसी विभाग/निकाय में ब्लैक लिस्टिड नही होनी चाहिए, फर्म का किसी भी न्यायालय में ब्लैक लिस्टिड से सम्बंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन नही होना चाहिए। फर्म को इस आशय का 10/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटिरी शपथ पत्र देना आनिवार्य होगा।
6. जनपद न्यायालय कार्यदायी संस्था को किसी भी प्रकार का साफ–सफाई का सामान(मशीन/उपकरण इत्यादि) उपलब्ध नहीं करायेगा। ये सभी कार्यदायी संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराये जायेगें और इन सभी सामानों का कोई अतिरिक्त भुगतान एजेन्सी को नहीं किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था किसी ख्यातिलब्ध कम्पनी का सामान प्रयोग करेगी जैसें कैमिकल, सर्फ –साबुन, लिक्विड, तेजाब, कूडें के थैले आदि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराये जायेगें।
8. साफ–सफाई का कार्य सुबह 8.30 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर कार्यदायी संस्था से 50/– रू0 प्रतिदिन तक वसूले जायेगें, सफाई कर्मी एजेंसी द्वारा निर्धारित वेष–भूषा में ही कर्मचारी रहेगें।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये गये गये कर्मचारीगण द्वारा यदि न्यायालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा और एजेंसी को दण्डित किया जायेगा।
10. दिन–प्रतिदिन कूड़ा–करकट को डस्टबीन में डाला जायेगा जो न्यायालय परिसर के बाहर इसी उद्देश्य से लगाया जायेगा।
11. शौचालय, पेशाव–घर व फर्श पर लगी मारबल, टाईल्स एवं टोटियों इत्यादि को को प्रतिदिन साफ किया जायेगा।
12. कार्यदायी संस्था साफ–सफाई के उपकरणों आदि को सुरक्षित रखने के लिए स्वंय उत्तरदायी होगी।
13. कार्यदायी संस्था अपने कर्मचारियों के लिए कार्य के स्थान पर प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था करेगी।
14. निविदा स्वीकृति व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय वैधानिक शर्तो के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा।

अतः इच्छुक एजेंसी/फर्म सफाई कार्य करने हेतु निविदा विज्ञप्ति दिनाँक 05.12.2019 को समय पाँच बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 09.12.2019 को सायं 4:00 बजे खोली जायेगीं। प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 1000/– रूपये की डी0डी0 जोकि जनपद न्यायाधीश, बदायूँ के नाम से धरोहर राशि के रूप में बंधक रहेगी यह धनराशि बोली समाप्ति के एक माह के अन्दर बोलीकर्ता को लौटा दी जायेगी।

16.11.19

जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।